



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-101

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 264268 दिनांक 31/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rishi Raj Meena S/o DHARAM SINGH MEENA	श्रीमती अन्तर बाई मीणा पत्नी श्री कल्याण सहाय मीणा	67C	266.66 SQ. YARD	Cooperative	PAWAN VIHAR Sector/Block-	Name Transfer	शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना पवन विहार के भूखण्ड संख्या 67सी क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज की लीजडीड श्रीमती अन्तर बाई मीणा पत्नी श्री कल्याण सहाय मीणा के नाम से दिनांक 24.10.07 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती अन्तर बाई मीणा द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 07.01.2024 के द्वारा अपने पौत्र श्री ऋषि राज मीना पुत्र श्री धर्म सिंह मीना के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात श्रीमती अन्तर बाई मीणा की दिनांक 02.10.2024 को मृत्यु हो चुकी है आवेदक श्री ऋषि राज मीना द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rishi Raj Meena S/o DHARAM SINGH MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।